Officers and Cadets discharged from the NCC

3088. SHRI R. S. NAIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of NCC officers and cadets who have been discharged from NCC in the year 1986;

(b) what is the number of NCC officers and the cadets who have been issued discharge certificates by the Commanding Officer, according to Rule 31 of NCC Rules, 1948;

(c) what is the number of NCC Officers and cadets who have not been issued such discharge certificates; and

(d) what are the reasons for not issuing the discharge certificates to the NCC Officers and cadets according to the provisions of Rule 31 of NCC Rules, 1948?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Use of NCC vehicles as private passenger carriers

3089. SHRI R. S. NAIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received regarding the use of 3 ton vehicles of NCC Battalions at Firozabad, Shikohabad and Mainpuri as private passenger carriers;

(b) what are the details of these complaints;

(c) whether it has been found on investigation that the money earned as fare from the private passengers is shared by the NCC authorities at various levels; and

(d) what remedial steps have been taken by Government in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) Two complaints, one each from a resident of Shikohabad and Mainpuri, have been received in July, 1987, alleging misuse of NCC vehicles for commercial purposes as private passenger carriers.

(c) and (d) These complaints are under investigation.

भारतीय भाषाओं के पंजीकृत समाचार पत्र

3090. ठाकुर जगतपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स के यहां माह जुलाई 1987 तक विभिन्न भारतीय भाषाओं के कुल कितने दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र पंजीकृत है तथा इनमें से कितने समाचार पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी में अलग अलग प्रकाशित होते हैं ;

(ख) जुलाई, 1987 तक ऐसे कितने समाचार पत्रों के शीर्षक निरस्त किए गए हैं जो नियमानुसार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ;

(ग) ऐसे कुल कितने समाचार पत्र हैं जो नियमानुसार प्रकाशित तो नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनके शीर्षक निरस्त नहीं किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ;

(ङ) सरकार द्वारा समाचार पत्रों को अखबारी कागज का जो कोटा आवंटित किया जाता है क्या उतने अखबार छपते हैं और क्या इस बात का वास्तविक रूप में सत्यापन किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) घोषणा को सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित कर दिये जाने और समाचारपत्र के प्रकाशित हो जाने के बाद शीर्षक को रद्द या मुक्त नहीं किया जा सकता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जो पंजीकृत समाचारपत्र अखबारी कागज के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें समय-समय पर घोषित अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार अखबारी कागज आबंटित किया जाता है। समाचारपत्र की प्रसार संख्या अखबारी कागज का आबंटन करने के लिए विचारणीय बुनियादी बातों में से एक है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, उसके द्वारा बताई गई प्रसार संख्या को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा सत्यापित किया जाता है।

विवरण

31 जुलाई, 1987 तक पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या

भाषा का नाम	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	कुल
अंग्रेजी .	174	476	388	1742	2780
हिन्दी .	762	3378	1199	1632	6971
असमिया .	3	30	18	28	79
बंगाली .	59	455	308	513	1335
गुजराती .	47	191	102	347	686
कन्नड़ .	109	205	128	286	728
कशमीरी .	—	1	—	—	1
मलयालम .	134	133	120	507	894
मराठी .	150	406	113	363	1032
उड़िया .	21	49	41	166	277
पंजाबी .	38	210	44	182	475
संस्कृत .	2	4	1	12	19
सिन्धी .	7	25	8	30	70
तमिल .	146	163	165	481	955
तेलुगु .	51	182	112	288	633
उर्दू .	215	783	223	355	1576
द्विभाषी .	34	388	210	764	1396
बहुभाषी .	9	67	37	167	280
अन्य .	45	70	32	101	248
योग :	**2005**	**7215**	**3249**	**7964**	**20434**